

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

सचिवालय परिसर, देहरादून

संख्या-205 USDMA-792(2020)TC

देहरादून : दिनांक 26 मई, 2020


आदेश

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा कोविड- 19 संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न मानक प्रचालन विधि (एस0ओ0पी0) तैयार की गई है। उक्त के संदर्भ में सभी मानक प्रचालन विधि (SoP for passengers of Domestic Flights; SoP for Interstate & Intrastate movement of stranded persons; SoP for Interstate movement of stranded persons by trains) में निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेशित किया जाना प्रस्तावित है :-

- Only for exceptional and compelling reasons such as cases of pregnancy, death in family, serious illness, senior citizen above 65 years of age and parent (s) accompanied by children below 10 years, as assessed by the State Nodal Officers/ District Nodal Officers in co-ordination with Health Authorities, home quarantine may be permitted for 14 days to all asymptomatic passengers, subject to compliance of all norms of social distancing and safety (as per MoHFW, MHA and state govt. guidelines). Arogya Setu app shall be mandatory in all such cases.

उक्त समावेशित बिन्दुओं के आधार पर यथा संशोधित एस0ओ0पी0 (मानक प्रचालन विधि) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शेष आदेश तथा निर्गत दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,



(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री महोदय के सज्ञानार्थ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. मण्डल आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित गाई फाईल।

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव